न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राजस्थान)

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

अभ्यावेदन प्रार्थना–पत्र सं. 18/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री कान्तिलाल पुत्र श्री जगन्नाथ उपाध्याय, निवासी–सांतपुर, आबूरोड		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड

उपस्थितः–

1. प्रार्थी श्री कान्तिलाल स्वयं ।
2. अप्रार्थी श्री अनूप सिंह, तहसीलदार, आबूरोड

दिनांकः 20.05.2019

डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 6757/2018 कान्तिलाल उपाध्याय बनाम राज्य सरकार व अन्य में धारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना नहीं होने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी.सिविल (अवमानना) पिटीशन सं. 156/2019 कान्तिलाल उपाध्याय बनाम राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर व अन्य पेश किया गया था। उक्त अवमानना नोटिस इस कार्यालय को दिनांक 24.04.2019 को प्राप्त हुआ। उक्त नोटिस के संलग्न जिला कलक्टर, सिरोही के नाम से प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.05.2018 प्राप्त हुआ। उक्त अभ्यावेदन पूर्व में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने से निस्तारित नहीं किया जा सका। अतः माननीय न्यायालय द्वारा अवमानना पिटीशन के संलग्न प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति को मूल अभ्यावेदन मानते हुये दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी श्री कान्तिलाल उपाध्याय एवं अप्रार्थी राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, आबूरोड को जरिये नोटिस मय रेकर्ड तलब किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

1. मौजा सांतपुर तहसील–आबूरोड की विवादित भूमि खसरा नं. 923 रकबा 15 विस्वा, श्री गुमान सिंह को दिनांक 09.03.1984 को उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन की गई थी।
2. श्री गुमान सिंह द्वारा उक्त भूमि का हंसाराम को बेचान किया गया, तत्पश्चात् श्री हंसाराम ने श्री शीतलप्रसाद शर्मा एवं श्री सुभाष जोशी को बेचान किया गया।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

श्री शीतल प्रसाद वगैरह द्वारा खसरा नम्बर 923 एवं 903 की भूमि नक्शे में गलत दर्ज होने का तथ्य प्रश्नगत करते हुये उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के न्यायालय में धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् एक राजस्व वाद दायर किया गया, जिसमे उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2002 श्री शीतल प्रसाद बनाम सरकार में दिनांक 20.03.2002 को निर्णय पारित करते हुए

"वादी का वाद स्वीकार कर मौजा सांतपुर के खसरा संख्या 903 व 923 के रकबे में जमाबंदी व नक्शें में त्रुटि को दुरस्त करने हेतु आदेश पारित किये गये एवं खसरा नम्बर 923 की भूमि रकबा 7.14 बीघा भूमि को वादीगण के खातेदारी अधिकार की घोषणा की गई।"

3. उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी तहसीलदार आबूरोड द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थना पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 68/2003 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड बनाम शीतलप्रसाद शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2006 से रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए निर्णय पारित किया कि

"उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2002 शीतल प्रसाद बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2003 पारित करने में किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता हैं।"

4. न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही के रेफरेंस प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2006 के विरूद्ध के राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड द्वारा धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी/टीए/2201/07/सिरोही पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.08.2008 द्वारा उक्त निगरानी खारिज करते हुए निर्णय पारित किया कि

"अभिभाषक अप्रार्थी की प्रमुख प्राथमिक आपत्ति इस बिंदु को लेकर है कि रेफरेंन्स को स्वीकार किये जाने अथवा निरस्त किये जाने का आदेश जिला कलक्टर की ओपीनियन मात्र होती है और यह आदेश

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

किसी न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है और ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इन समस्त न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि रेफरेन्स स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का आदेश न्यायिक आदेश नहीं है, यह मात्र जिला कलक्टर की ओपीनियन है। राजकीय पक्ष के अभिभाषक हमारे समक्ष ऐसा एक भी न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर सके जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 अथवा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी मण्डल द्वारा पोषणीनय मानी गई हों। इसके अतिरिक्त राज्य पक्ष के अभिभाषक हमारे समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट करने में असफल रहे है कि वादी का वाद डिक्री किये जाने में राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई गई अथवा डिक्री किया गया वाद पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध था। यह वाद केवल भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को संशोधित करने से सम्बंधित था और उपखण्ड अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वाद को डिक्री किया गया था। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। जब कि मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में जहां अपील की रेमेडी उपलब्ध हो, वहां रेफरेंस के माध्यम से कार्यवाही किये जाने की प्रकिया को न्यायसंगत नहीं माना गया है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये रेफरेंस प्रार्थना पत्र को वाद की परिस्थितियों एवं न्यायिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया गया था एवं उक्त आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है। "

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

5. यह है कि प्रार्थी कान्तिलाल द्वारा मौजा सांतपुर के खसरा नम्बर 923 व 903 के सम्बंध में प्रस्तुत जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 6757/2018 कान्तिलाल उपाध्याय बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है:–

> "Heard learned counsel for the petitioner and after perusing the entire record more specifically judgment dated 09.03.2006 (Annx.12) passed by the District Collector, Sirohi, we are not inclined to interfere in this writ petition. Hence, the instant writ petition is hereby dismissed.
>
> "However, petitioner will be at liberty to raise all his grievances before the District Collector, Sirohi by way of filing representation and in the event of filing representation the same will be decided in accordance with law while taking into consideration the order passed by the District Collector, Sirohi under the proceeding of reference under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act."

6. प्रार्थी श्री कांतीलाल उपाध्याय ने उपस्थित होकर पक्ष रखा कि मौजा सांतपुर तहसील–आबूरोड की विवादित भूमि खसरा नं. 923 का रकबा 15 विस्वा दिनांक 09.03.1984 को श्री गुमान सिंह को उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन की गई थी। श्री गुमान सिंह द्वारा उक्त भूमि का हंसाराम को बेचान किया गया, तत्पश्चात् श्री हंसाराम ने श्री शीतलप्रसाद शर्मा एवं श्री सुभाष जोशी को बेचान किया गया। श्री शीतल प्रसाद वगैरह द्वारा खसरा नम्बर 923 एवं 903 की भूमि नक्शें में गलत दर्ज होने से उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के न्यायालय में धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् एक राजस्व वाद दायर किया गया, जिसमे उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2002 श्री शीतल प्रसाद बनाम सरकार में दिनांक 20.03.2002 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर मौजा सांतपुर के खसरा संख्या 903 व 923 के रकबे में जमाबंदी व नक्शें में त्रुटि को दुरस्त करने हेतु आदेश पारित किये गये एवं खसरा नम्बर 923 की

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

भूमि रकबा 7.14 बीघा भूमि को वादीगण के खातेदारी अधिकार की घोषणा की गई है। अतः आंवटी/केता को खसरा न. 923 की मात्र 15 बिस्वा का मालिक एंव कब्जा माना जावे। उनके द्वारा राज्य सरकार से धोखाधडी करते हुए खसरा न. 903 की 7 बिघा 14 बिस्वा किस्म गै. मु. नाले की भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है उसे निरस्त करते हुए भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्राप्त कर लिया जावे तथा उक्त भूमि पर आगे किसी प्रकार की निर्माण स्वीकृति अथवा और भी कोई आदेश श्री शीतल प्रसाद शर्मा व श्री सुभाष दत्त जोशी अथवा इनके द्वारा किसी अन्य को विक्रय विलेख के जरिये सौंपे जाने के बाद उनके पक्ष में श्रीमान तहसीलदार महोदय, आबूरोड पटवारी, भू–अभिलेख अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा भी कोई निर्णय या आदेश पारित किया गया हो तो उसे भी निरस्त करने व वर्तमान में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने का निवेदन किया गया।

7. अप्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड द्वारा मय रेकर्ड उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि माननीय राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2003 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 68/2003 पेश किया गया थां उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र को पारित निर्णय दिनांक 09.03.2006 से खारिज किया गया था जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी/टीए/2201/07/ सिरोही पेश की गई थी, जिसे निर्णय दिनांक 06.08.2008 से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्ध तत्समय अन्य किसी सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही नहीं किया जाकर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अग्रिम कार्यवाही की गई। तहसीलदार, आबूरोड ने सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबंदी के दस्तावेज प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि उक्त विवादित भूमि का नामांतकरण संख्या 1649/13.12.2018 एवं 1654/22.01.2019 के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र नगर सुधार न्यास, आबू के नाम दर्ज हुआ हैं। तहसीलदार ने यह भी अवगत करवाया कि मूल वाद के वादी द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार संपरिर्वतन करवाकर नियमानुसार निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसे सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के बगैर रूकवाया जाना संभव नहीं है। प्रकरण में अपील की समयावधि गुजर जाने से अपील किया जाना अब संभव नहीं है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पक्षकारों द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 के द्वारा विचाराधीन अभ्यावेदन का जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत रेफरेन्स के निर्णय के विनिश्चियन को दृष्टिगत रखते हुये विधि अनुरूप निस्तारित किया जाना है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर द्वारा रेफरेन्स के निर्णय दिनांक 09.03.2006 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में निगरानी/टीए/2201/07/ प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 06.08.2008 को खारिज की जा चुकी है। जिससे जिला कलक्टर का रेफरेन्स में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2006 अपीलीय न्यायालय में चुनौती दिया जाकर निस्तारित हो चुका है। इस स्थिति में निर्णय दिनांक 09.03.2006 को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में न तो इस स्तर पर उसके निष्कर्षों पर किसी प्रकार का विनिश्चियन विधि सम्मत है और न ही उपखण्ड अधिकारी का प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.03.2002 को इस स्तर पर निरस्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। तहसीलदार, आबूरोड द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार सम्परिर्वतन करवाकर नियमानुसार निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसे सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के बगैर रूकवाया जाना सम्भव नहीं है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्याः 46/2002 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2002 राजस्व वाद में पारित एक न्यायिक आदेश है, जिसे अपील के माध्यम से ही अपास्त कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, आबूरोड को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 20.03.2002 एवं प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पश्चातवर्ती समस्त निर्णयों एवं राजस्व रेकर्ड में किये गये समस्त परिवर्तनों का परीक्षण करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका पेश करें। इस निष्कर्ष व निर्देश के साथ अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बंधित समस्त को उपलब्ध करवाई जावे।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner